क्रमांक 12/24/93-2 जी0 एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल ।
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 16 मई, 1995

विषय :--वर्क/वर्कचार्ज/दैनिक वेतनभोगी/कैजुअल कर्मचारियों को नियमित करने बारे ।

महोदय,

सरकार के ध्यान में यह आया है कि बहुत से विभाग वर्क/वर्कचार्ज/दैनिक वेतनभोगी/कैजुअल कर्मचारि नियमित करने सम्बन्धित न्यायालयों में दायर मामलों में पैरवी करने एवं निर्णय पश्चात अपील दायर करने हेतु एवं सावधानीपूर्वक कार्यवाही नहीं करते । विभाग के द्वारा उदासीनता एवं लापरवाही के कारण बहुत से उक्त कर्मच को बिना औचित्य नियमित करना पड़ता है जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ता है । यदि विभाग मामलों में सावधानीपूर्वक तात्कालिक रूप से कार्यवाही करें तो मामलों में पैरवी सुचारू रूप से हो सकती है एल0 पी0 ए0/एस0 एल0 पी0 दायर करने बारे भी समय पर निर्णय लिया जा सकता है ।

2. सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है कि भविष्य में सभी विभाग प्रशासकीय सचिव न्यायालय में लम्बित समस्त मामलों (कोर्ट केसिज) का ब्योरा अपने पास रखें और की गई का की प्रगति स्वयं देखें अन्यथा ऐसे मामलों में उन्हें निजी रूप से जिम्मेवार माना जाएगा । भविष्य में ऐसे माम कोताही के लिए कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।

भवदीय,
हस्ता/-
संयुक्त सचिव, सामान्य प्र
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरक

इसकी प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों/आयुक्तों एवं सचिवों को उक्त वर्णित स्थिति के आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

हस्ता/-
संयुक्त सचिव, सामान्य प्रश
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरक

सेवा में

हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव ।

अशा0 क्रमांक 12/24/93-2 जी0 एस0 I दिनांक 16 मई, 19